पूर्व रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway Railway

EAST CENTRAL RAILWAY
EAST CENTRAL RAILWAY
कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBE No.- 46/15

CPO's Sl. No. 69/15

No. E/MPP/0/ECR/HJP

dated : 4/6/15

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू0म0रे0, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / पूमरे / हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पूमरे / हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
10. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पूमरे / हाजीपुर

विषय / Sub. Providing fg facilities for persons with disabilities - Guidelines.

संदर्भ / Ref: Rly. Bd's letter no. E(MPP)2015/3/13 dt. 14/5/15.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।
DA : As above.

4.6.15
(म0 पी0 तिवारी)
वकाधि / M&E एवं रूलिंग
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पूमरे / हाजीपुर ।
2. महासचिव / एस0सी0 / एस0टी0 एशोसिएशन / पूमरे / हाजीपुर ।
3. [illegible] कृपया इसे नोट एवं आवश्यक कार्रवाई करें।
4. [illegible] / डी0 ओ0 सी0 एसोसिएशन / पूमरे / हाजीपुर

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

RBE No.49/2015

No.E(MPP) 2015/3/13 New Delhi, dated: 14.05.2015

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Providing training facilities for persons with disabilities-Guidelines

A need has been felt to issue guidelines to provide certain additional facilities/amenities to persons with disabilities (PWD) to enable them to effectively discharge their duties. Guidelines have been laid down by the Department of Personnel & Training (DOP&T) for providing facilities such as identification of jobs, post recruitment and pre-promotion training, assistive devices, free accessibility etc. and other related areas which require special attention.

Since training is an essential component of the service requirement of an employee, following may be ensured/provided:

1. Induction training programme for the persons with disabilities should be imparted together with the other employees.
2. Job specific post-recruitment as well as pre-promotion training programmes should be organized for the persons with disabilities. Definite action to conduct job specific inclusive training programmes for persons with disabilities along with other employees should be enforced.
3. Duration and contents of training programmes may be finalized in consultation with the National Institutes under the Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment and, if felt necessary, assistance of prominent Associations/Federations/Confederations working in the sphere of disabilities could be taken.
4. Training programmes may also be arranged for the persons with disabilities, keeping in view changes in job profile on account of, introduction of new technology or promotion of the employees etc. The venue of the training needs to be fixed depending on suitability for conducting such training programmes.

Action taken on the above may be advised to this office.

Kindly acknowledge receipt.

(Anuradha Singh)
Director(MPP)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

आरबीई सं.46/2015

सं. ई(एमपीपी)2015/3/13 नई दिल्ली, दिनांक 14.05.2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

विषय: विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में दिशा-निर्देश

विकलांग व्यक्तियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं/सहुलियतें मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एण्ड टी) ने विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं, जैसे उनकी विकलांगता के अनुसार कार्य सौंपने, भर्ती के उपरांत और पदोन्नति से पूर्व प्रशिक्षण देने, सहायक उपकरण, नि:शुल्क उपलब्धता आदि और अन्य संबंधित क्षेत्रों जिनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो, मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

चूँकि प्रशिक्षण, किसी कर्मचारी की सेवा आवश्यकता का एक अनिवार्य हिस्सा है, अत: निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए/मुहैया कराए जाएं:

1. अन्य कर्मचारियों के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं।
2. विकलांग व्यक्तियों के लिए भर्ती के उपरांत और पदोन्नति से पूर्व विनिर्दिष्ट कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निश्चित कार्रवाई की जाए।
3. विकलांगता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय संस्थानों से परामर्श करके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि और विषय तैयार किए जाएं और यदि आवश्यक हो तो विकलांगता क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख एसोसिएशनों/संघों/परिसंघों की सहायता ली जाए।
4. नई प्रौद्योगिकी का समावेशन या कर्मचारियों की पदोन्नति आदि के कारण कार्य प्रोफाइल में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएं। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की उपयुक्तता के आधार पर प्रशिक्षण स्थल निर्धारित करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

कृपया पावती दें।

13/5/15
(अनुराधा सिंह)
निदेशक(एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

E(MPP)-S